जिला सैनिक कल्याण विभाग सोलन के सैनिक विश्राम गृह, परवाणू के निधि लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, अवधि 5/98 से 3/03 तक

भाग-एक

1. प्रारम्भिक :- नास्ति संख्या : जे० एस० डब्ल्यू० ओ०/ एस० एल० एन०/ 3-1/85 के प्राविष्टि 14 के पत्र सं० जे० एस० डब्ल्यू० ओ०/ एस० एल० एन०/ 5-2/98 - एस० आर० एच/ पी० डब्ल्यू० एन०/ 37, दिनांक 27-1-03 के अनुसार, सैनिक विश्राम गृह, परवाणू वर्ष 1992 में मु० 6,45,430=00 रु० की लागत से बनाया गया। उप निदेशक, सैनिक कल्याण, सोलन द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण हमीरपुर के लिखे पत्र संख्या : जि० सै० क०- सोलन - 5-1/90 (खण्ड-3) -328, दिनांक 1-5-98 के अनुसार यह विश्राम गृह 1-5-98 से रहने योग्य बना। वर्तमान लेखा परीक्षा विश्राम गृह की प्रथम लेखा परीक्षा है।

भाग-दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षा :- अवधि 5/98 से 3/03 के विश्राम गृह निधि लेखाओं की वर्तमान लेखा परीक्षा, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, इन्द्र सिंह शांडिल अनुभाग अधिकारी द्वारा 2-1-04, 3-1-04, व 6-1-04 से 9-1-04 को की गई।

(2) -Jho

माह 10/98, 2/99, 10/99, 11/99, 8/2000, 11/2000, 7/01, 2/03 व 3/03 के लेखों की विस्तृत जांच की गयी समस्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया।

3. <u>वित्तीय स्थिति</u> :- अवधि 6/98 से 3/03 तक सैनिक विश्राम गृह परवानू की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आदि शेष	आय	जोड़	व्यय	अन्तिम शेष
98-99	—	14524=40	14524.40	13740	784.40
99-2000	784.40	39304=60	40089.00	9400.60	30688.40
2000-01	30688.40	42101=22	72789=62	60=00	72729=62
01-02	72729=62	36956=73	1,09,686=35	40=00	1,09,646=35
02-03	1,09,646=35	20973=06	1,30,619=41	50=00	1,30,569=41

भारतीय स्टेट बैंक परवानू के खाता स० 01190009680 में जमा राशि = 1,30,569=41/-

4. <u>लेखा परीक्षा शुल्क</u> :- अवधि 5/98 से 3/03 के लेखाओं का लेखा परीक्षा शुल्क मु० 3600 रु० बना, जिसे बैंक ड्राफ्ट संख्या सी० डी०/जे० -762951, दिनांक 4-2-04 द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया गया।

(3) - मद- 3(1) -

मु० 2,00,490=00 रु० के किराये की राशि के भुगतान बारे :-

5

निदेशक, सैनिक कल्याण, हि० प्र० और सचिव, रविन्द्र नाथ टैगोर स्मारक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र शोलापानी, परवाणू के मध्य दिनांक 31-5-99 को हुये अनुबन्ध के अनुसार, सैनिक विश्राम गृह परवाणू की समस्त पहली मंजिल और धरातल मंजिल की डोरमेटरी उक्त संस्था को 1-6-99 से 31-5-2000 तक 5500 रु० मासिक किराये पर दी गई। दिनांक 31-5-2000 को किये गये अनुबन्ध के अनुसार उक्त किराया 1-6-2000 से पांच वर्षों के लिए 6500 रु० मासिक निर्धारित किया गया। परन्तु उक्त संस्था द्वारा सैनिक कल्याण विभाग को 1-10-2000 से 31-10-02 तक के किराये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उक्त संस्था द्वारा दिनांक 18-2-02 को 25000 रु० का Post dated चैक

(4)-762-

जिला सैनिक कल्याण विभाग को दिया गया जिसको संस्थान के खाते में चैक की राशि न जमा होने के कारण भुनाया नहीं जा सका।

जिला सैनिक कल्याण विभाग, सोलन द्वारा किराये की वसूली हेतु न्यायालय में under Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 के सेक्शन 4, 5, 7 & 14 के अन्तर्गत अवधि 10/2000 से 10/02 तक मु० 2,00,490=00 रु० के किराये की बकाया राशि के दावे का मुकद्दमा रविन्द्र नाथ टैगोर स्मारक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोसायटि, परवाणू पर निम्न विवरणानुसार किया है।

1-10-2000 से 31-10-2002 तक देय किराया = 1,62,500=00

1-10-2000 से 31-10-2002 तक बकाया किराये पर 18% की दर से ब्याज = 31,688=00

गुम / कम पाये गये सामान की प्रतिपूर्ति राशि = 11,800=00

2,05,988=00

(-) संस्था के सफेदी के बिल की राशि -5,498=00

2,00,490=00

अतः उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी सशक्त के साथ न्यायालय में की जाए तथा न्यायालय के निर्णय से स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत किया जाए।

(5) तथ्य –

6. आगन्तुक रजिस्टर मे ठहराव की तिथियों को ओवर राइटिंग / कटिंग द्वारा बदलने के कारण विश्राम गृह की आय का दुर्विनियोजन किया जाना :–

आगन्तुक रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस रजिस्टर में विश्राम गृह के ठहराव आगन्तुकों के विश्राम गृह के ठहराव की तिथियों को ओवर राइटिंग / कटिंग द्वारा बदला गया है, जिससे सम्बन्धित किरायों कर्मचारी द्वारा विश्राम गृह के किराये की राशि का दुर्विनियोजन किया गया है। इस प्रकार अभिलेख में कटिंग / ओवर राइटिंग किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा इसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये तथा आगन्तुक रजिस्टर में तिथियों को बदलने के कारण व किरायों की रसीदों में किराये की दर्शाई गई राशि [illegible]

(6) 366 -

ओवर राइटिंग द्वारा बदला कारणो से कुल
प्रकरण निम्न प्रकार से है, जिनमें सम्बन्धित
कर्मचारी द्वारा 205=00 रु० की राशि का
दुर्विनियोजन किया गया है, अतः इस राशि की
वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की
जावे तथा अनुपालना से इस विभाग को
भी अवगत किया जावे!

आगन्तुक रजिस्टर का क्रमांक	नाम	ठहराव की अवधि / आने की तिथि	प्राप्त राशि	जमा की गई राशि	कम जमा राशि	टिप्पणी
84	श्री नेकू राम गांव जनावा तह० सदर मण्डी	29-10-98 (9 Am) को ओवर राइटिंग द्वारा 26-10-98 और जाने की तिथि 28-10-98 को 27-10-98 (8.Am) किया गया.	150=00	60=00	90=00	ठहराव की तिथियों को बदलने के कारण 90=रु कम जमा किये गये है।
2	श्री आर० पी० गोयल, 468, सैक्टर 20-A. चण्डिगढ	19-4-99 (4.Pm) से 20-4-99 (12 Am) (इन तिथियों को ओवर राइटिंग द्वारा बदला गया है)	150=00	75=00	75=00	किराये की रसीद सं० 8482 में प्राप्त राशि 150=00 को काट कर 75=00 रु किया गया है।
[illegible]	श्री राजेन्द्र प्रसाद गांव व० डा० खा० [illegible] सोलन	29-1-99 (7.30 Pm) से 30-1-99 (8.00 Am)	75=00	35=00	40=00	आगन्तुक रजिस्टर में [illegible] को काट [illegible] किया गया तथा किराया 75 रु० को काट कर रसीद सं० 824 में 35 रु किया गया है। रसीद को [illegible] जारी करने का [illegible] आगन्तुक रजिस्टर [illegible] 1-99 तक [illegible]

(ग) 35 —

बिजली के बिलों का भुगतान नियत तिथि को न करने के कारण राशि 22=00 रु के अधिभार का भुगतान किया जाना :-

बिजली के बिल, क्योंकि विश्राम गृह के बिजली के बिल, भुगतान वाउचर संख्या 18, 8/98 से 9/98 का भुगतान किया गया। उक्त दिनांक 2-11-98, द्वारा बिल का भुगतान नियत तिथि के पश्चात करने के कारण बिल में 22 रु (241-219=22 रु) की राशि का भुगतान अधिभार के रूप में किया गया है। इस प्रकार बिल की राशि का भुगतान नियत तिथि के पश्चात करने के कारण रु0 22=00 रु के अधिभार की राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके विश्राम गृह निधि में जमा की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करें।

(8) 4/6-

8. वाउचर संख्या शुन्य, दिनांक 27-11-99, राशि 961=00 रु० का भुगतान :-

निम्नविवरणानुसार 961=00 रु. की राशि का भुगतान पानी की पाइप की मुरम्मत तथा विम, रविड तथा फिनाइल इत्यादि की खरीद पर दर्शाया गया है, परन्तु इन वस्तुओं की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है। अतः अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

वाउचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	क्रय का विवरण	राशि
शुन्य	27/11/99	मै० गनेश ट्रेडर्स, परवानू	सिल्टन	250=00
शुन्य	27/11/99	(कोई विवरण नहीं दिया गया)	जी० आई० पाइप तथा अन्य फिटिंग का सामान	360=00
शुन्य	27/11/99	मै० गनेश ट्रेडर्स, परवानू	PVC कनेक्शन, स्टोप कॉक इत्यादि	108=00
शुन्य	27/11/99	मै० गोयल हार्डवेयर, परवानू	वेव कॉक	60=00
शुन्य	27/11/99	मै० गणपती ट्रेडर्स परवानू	विम रविड व फिनाइल	80=00
शुन्य	27/11/99	(कोई विवरण नहीं दिया गया)	फिनाइल, विम	34=00
शुन्य	27/11/99	मै० पुरी प्रोविजन स्टोर, परवानू	झाड़ू	29=00
शुन्य	27/11/99	मै० हेमंत सेल्ज, परवानू	4 बल्ब	40=00
			योग :-	961=00

क्रम संख्या 2 व 6 पर दर्शाया गया बिल निर्धारित प्रपत्र पर न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में बिल निर्धारित प्रपत्र पर लिये जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

9. लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

10. निष्कर्ष :- विश्राम गृह 28-10-02 से बन्द है। अतः इसे पुनः प्रारम्भ किया जाए ताकि सैनिको व उनके आश्रितो को इसमे ठहरने की सुविधा मिल सके।

हस्ता/-
अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला 171009.

पृष्ठांकन संख्या 193 दिनांक 1-4-04.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे।
2. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर (हि० प्र०)
3. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हि० प्र० शिमला-2.
4. जिलाधीश, सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हि० प्र० शिमला-9

हस्ताक्षरित
अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009